बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 06/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखंड विकास कार्यालय अमनौर, सारण।

(ख) **अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि** – वर्ष 2002–03 एवं 03–04

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल

1. श्री पंकज कुमार समाहर्त्ता, सारण
   01.04.02 से 14.05.02 तक
2. श्री बैधनाथ मिश्र, समाहर्त्त, सारण
   15.05.02 से 22.02.04 तक
3. श्री पी0 प्रधान समाहर्त्ता, सारण
   22.02.04 से 31.03.04 तक

(ड0) अंकेक्षणावधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. डा0 उपेन्द्र सिंह प्रखंड विकास पदा0
   1.4.02 से 28.8.02 तक
2. श्री फिरोज अख्तर ,प्र0 वि0 पदा0
   28.8.02 से 19.2.03 तक
3. श्री गणेश हरिजन, प्र0 वि0 पदा0
   19.2.03 से 17.03.04 तक

4. श्री फिरोज अख्तर, प्र0 वि0 पदा0

17.3.04 से 31.3.04 तक

5. श्री जगलाल मांझी, प्र0 सहायक

1.4.02 से 31.3.04 तक

6. श्री शिव कुमार मांझी, नाजीर

1.4.02 से 31.3.04 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदा0

एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम – 1. संदीप शेखर प्रियदर्शी ,प्र0 वि0 पदा0

2. श्रीमती रेणु गुप्ता,प्र0 वि0 पदा0

3. श्री जगलाल मांझाी, प्रधान सहायक

4. श्री विश्वनाथ सिंह, नाजीर

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ,व0 अं0–1

2. श्री हरेन्द्र मांझी व0 अं0–2

3. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 19.03.10

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 31.12.10

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 47 दिन औसतन।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

वित्त विभागीय ज्ञापांक 3286 एफ0 ए0 दिनांक 15.9.60 में निहित निदेशानुसार प्रखंड विकास कार्यालय अमनौर, सारण के वित्तीय वर्ष 02–03 एवं 03–04 का सामान्य अंकेक्षण प्रस्तुत लेखाभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। अंकेक्षणावधि से जमा की गई राशियों का सत्यापन शत् प्रतिशत् एवं निकासी की गई राशियों (रू0 582000.00 को छोड़) शत् प्रतिशत् जिला कोषागार, छपरा से किया गया एवं सही पाया गया। पूर्व का कोई अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालनार्थ अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया फलतः अनुपालन की स्थिति शून्य रही।

(ड) वित्तीय परिशंसा –

वर्ष 02–03 एवं 03–04 का आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर दिया गया है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि किसी भी शीर्ष की बचत की राशि को प्रत्यार्पित नही किया गया जिससे बचत की राशियाँ व्ययगत हो गयी। ऐसा न कर बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 75 का उल्लंधन किया गया। कुछ शीर्षों की ईकाइयों में आवंटन से अधिक व्यय किया गया जिसके लिए अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर अधिक व्यय की राशि का विनियमन सुनिश्चित कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। उल्लेखनीय है कि वर्ष 02–03 एवं 03–04 का आवंटन एवं व्यय पंजी एवं वर्ष 03–04 का आवंटन का सरकारी पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का भी कोई उत्तर नही दिया गया। उक्त लेखाभिलेखों के अभाव में अंकेक्षण द्वारा वर्ष 02–03 एवं 03–04 के व्यय का विवरण वेतन भुगतान पंजी एवं वर्ष 03–04 के कुछ ईकाइयों का आवंटन आकस्मिकता पंजी के आधार पर तैयार किया गया।

(1) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि के रोकड़ पुस्त के क्रमशः प्रारंभण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ का वार्षिक व्योरा।

(क) दिनांक 1.4.02 का संवरण शेष रू0 8291870.75 पै0 अंकित पाया गया जिसका शीर्षवार विवरण निम्नरूपेण अंकित था।

1. EAS – 51504.00
2. Interest – 229457.00
3. IAY – 1616376.05
4. 2515(ख) – 575761.66
5. 2401 – 294.00
6. 2202 – 279746.00
7. 2225 – 20.00
8. 2515 (क) – 2286293.80
9. 2230 – 81136.90
10. ट्राइसेम – 35393.60
11. 2235 (N) – 205871.94

12. 2235 (s) – 544239.04
13. 2505 (ग) – 217157.62
14. SPL.JRY – 1663.00
15. जिला योजना –
16. IRDP – 57.30
17. BORING – 450923.60
18. स्थायी अग्रिम – 200.00
19. 2071 – 36950.00
20. 8005 – –
21. 2015 – 166992.00
22. 2053 – 320.00
23. पोषाहार – 453271.29
24. SPLIAY – 493.65
25. 4225 – 3500.00
26. TLC – 11.00
27. 15% JRY – 776.30
28. EAS 70% – 1051461.00

संवरण शेष का रोकड़वार विवरण रोकड़ पुस्त पर अंकित किया हुआ नही पाया गया।

(ख) दिनांक 31.3.03 का संवरण शेष रू0 11476925.75 पै0 अंकित किया हुआ पाया गया जिसका शीर्षवार एवं रोकड़वार विवरण निम्नरूपेण अंकित था।

1. EAS – 51504.00
2. Interest – 229457.00
3. IAY – 2382196.05
4. 2515(ख) – 517745.66
5. 2401(कृषि) – 294.00
6. 2202 (शिक्षा) – 469346.00
7. 2225 (कल्याण) – 465333.00
8. 2515 (क) – 1390509.80
9. 2230 – 114011.90
10. ट्राइसेम – 35393.60
11. 2235 (N) – 1086960.94
12. 2235 (s) – 759950.04
13. 2505 (ग) – 217157.62
14. SPL.JRY – 1663.00
15. जिला योजना –
16. IRDP – 57.30
17. BORING – 448994.60

18. स्थायी अग्रिम – 200.00
19. 2071 (पेंशन) – 36950.00
20. 8005 – –
21. 2015 – 233212.00
22. 2053 – 320.00
23. पोषाहार 2236 – 558271.29
24. SPLIAY – 493.65
25. 4225 – 3500.00
26. TLC – 11.00
27. 15% JRY – 776.30
28. EAS 70% – 2472617.00

11476925.75

रोकड़ का विस्तार

बैंक – 8126099.26

अभिश्रव – 1189573.00

अग्रिम – 2164503.00

नकद – 322.49

कुल योग– 11476925.75

(ग) दिनांक 31.3.04 का संवरण शेष रू0 8562411.75 था, जिसका शीर्षवार एवं रोकड़वार सामान्य पुस्त में अंकित नही किया गया था।

(3) अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल का व्यौरा एवं तद्जन्य समीक्षा।

क्र0	संवर्ग	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्रखंड विकास पदा0	01	01	–
2	पर्यवेक्षक	09	04	05
3	आशुलिपिक	01	–	01
4	सहायक	07	04	03
5	पंचायत सेवक	18	11	07
6	जनसेवक	10	04	06
7	अनुसेवी	05	02	03
8	झाडूकस	01	01	–
9	जीप चालक	01	–	01
10	जंजीर वाहक	01	–	01

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूची से स्पष्ट है कि अधिकांश संवर्गो में कई पद रिक्त है जिससे लोक सेवा प्रभावित हो रहा है। रिक्त पदों अबिलंब भरा जाना आवश्यक है जिससे विकास की गति सम्यक रूप से हो सके।

भाग– 1

2. रू0 10000.00 का हेरा–फेरी कर गबन :–

शीर्ष 2515 (ख) के व्यय पक्ष की जाँच में पाया गया कि संबंधित सहायक रोकड़ पंजी के व्यय पक्ष में दिनांक 16.11.02 को एन0 आर0 सं0– 757420 द्वारा रू0 10000.00 की वापसी अंचल कार्यालय, अमनौर को की गयी थी। उक्त वापसी सांसद योजना सं0 32/01–02 से संबंधित था। उल्लेखनीय है कि उक्त राशि की प्राप्ति की पुष्टि अंचल कार्यालय, अमनौर के संबंधित अभिलेखों से नही हो पायी, साथ ही उक्त राशि का भुगतान संबंधित योजना के अभिकर्त्ता को भी किया हुआ नही पाया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। इस प्रकार रू0 10000.00 का गबन हेरा–फेरी कर लिया गया।

अतः दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करते हुए प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(3) गणना के भूल के कारण रू0 5000.00 अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

सुनिश्चित रोजगार योजना सं0 9/02–03 (चांदपुरा आर0 इ0 ओ0 पथ में माधव मुरारी राय के घर होते हुए भरत राय के घर तक मिट्टीकरण एवं ईंटीकरण (अभिकर्त्ता श्री नवरत्न प्रसाद, पंचायत सचिव) की जाँच में पाया गया कि एक नम्बर ईंट कुल 19806 ईंट दर रू0 1706.00 प्रति हजार के लिए रू0 38800.91 पै0 का भुगतान उक्त अभिकर्त्ता को किया गया था जबकि गणना करने पर उक्त ईट का वास्तवकि मूल्य रू0 33800.91 पै0 होता है। इस प्रकार गणना के भूल के कारण रू0 5000.00 (38800.91–33800.91) अधिक का भुगतान उक्त ईंट के क्रय पर कर दिया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

अतः जिम्मेवार व्यक्ति से रू0 5000.00 अधिक भुगतान की राशि वसूलकर संबंधित शीर्ष के आय पक्ष में प्रविष्ट करते हुए उचित शीर्ष के बैंक में जमा किया जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(4) मजूदरी के रूप में अधिक भुगतीत राशि रू0 3336.00 वसूली योग्य :–

सांसद योजना सं0 8/2000–01 (प्रा0 वि0 परमामन्द छपरा में दो कमरे का निर्माण (अभिकर्त्ता श्री राम बाबू सिंह) की जाँच में पाया गया कि

1. मास्टर रॉल दिनांक 12.2.01 से 18.03.01 में मजदूरी का भुगतान निम्नरूपेण किया गया था।

18 मिस्त्री – 4182.00

54 लेबर – 2754.00

कुल – 6936.00

जबकि वास्तविक भुगतान 18 मिस्त्री @ 81.00 – 1158.00

54 लेबर @ 51.00 – 2754.00

योग –4212.00 किया जाना चाहिए था। इस प्रकर निर्धारित दर से रू0 2724.00 (6936.00–4212.00) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया।

2. इसी प्रकार मस्टर रॉल दिनांक 8.6.01 से 14.6.01 में

20 मिस्त्री @ 81.00 – 2025.00

70 लेबर @ 51.00 – 2570.00

योग– 5595.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था जबकि रू0 6207.00 भुगतान किया गया। इस प्रकार रू0 612.00 (6207.00–5595.00) का अधिक भुगतान किया गया।

(1) और (2) में कुल रू0 3336.00 (2724.00+612.00) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

उपर्युक्त रू0 3336.00 अधिक भुगतीत राशि को संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा किया जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(5) मजदूरी के रूप में दुबरा भुगतान की राशि रू0 1992.40 पै0 वसूली योग्य :–

विधायक योजना सं0 20/1 /2001–02 की जाँच में पाया गया कि मस्टर रॉल सं0–2 एवं 03 द्वारा एक ही अवधि 19.3.02 से 21.3.02 के लिए 8 मजदूरो क्रमांक 1 से 8 को दिनांक 5.11.02 को तथा मस्टर रॉल सं0 2 एवं 4 द्वारा एक ही अवधि 19.3.02 से 21.3.02 के

लिए एक मजदूर (क्रमांक–9) को दिनांक 5.8.02 को एवं पुनः मस्टर रॉल सं0–2 एवं 4 द्वारा ही एक ही अवधि दिनांक 19.3.02 से 25.3.02 के लिए एक मजदूर (क्रमांक 10) को दिनांक 5.8.02 को मजदूरी के रूप में दुबारा भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण निम्नरूपेण है–

क्र0 सं0	श्रमिक का नाम	अवधि	दिनो की सं0	अभ्युक्ति
1	श्रीधर महतो पिता – राम अयोध्या महतो ग्राम जगदीशपुर	19.3.02 से 21.3.02	3 दिन	योजना का नाम– वृजनाथ सिंह के घर से उमेश सिंह के बड़काडीह तक पथ में मिट्टीकरण एवं ईंटीकरण। अभिकर्त्ता का नाम– श्री कमल किशोर शर्मा पं0 से0
2	श्री लोहा महतो पिता अनूप महतो ग्राम– जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
3	श्री उमेश महतो पिता–कृपाल महतो ग्राम–जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
4	श्री नन्द किशोर महतो पिता– बालेश्वर महतो ग्राम–जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
5	श्री वकील महतो पिता– स्व0 खेदन महतो ग्राम –जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
6	श्री उपेन्द्र महतो पिता– सुदामा महतो ग्राम– जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
7	श्री मेधाराम पिता –स्व0 गोविन्द राम ग्राम–जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
8	श्री राम नरेश महतो पिता– स्व0 सुखदेव महतो ग्राम जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	
9	श्री शिवनाथ मांझी पिता– स्व0 भरइल मांझी ग्राम– जगदीशपुर	तदैव	3 दिन	

10	श्री गया महतो पिता– भूखल महतो ग्राम– जगदीशपुर	19.3.02 से 25.3.02	7 दिन	

कुल – 34 दिन @ 58.60 =1992.40

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। अतः मजदूरी के रूप में दुबारा भुगतान की गई राशि रू0 1992.40 जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर संबंधित कोष में जमाकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग , बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(6) रू0 1000.00 अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

विधायक योजना सं0 13/2000–01 (ग्राम बगही नहर पुल से श्री बच्चन राम के घर तक सड़क में मिट्टी एवं ईट्टीकरण,अभिकर्त्ता श्री वीरेन्द्र तिवारी) की जाँच में पाया गया कि मापी पुस्त के अनुसार रू0 50995.00 का कार्य कराया गया। जब कि उक्त योजना के लिए रू0 51995.00 का भुगतान उक्त अभिकर्त्ता को किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

दिनांक	भुगतान की राशि
5.2.01	7000.00
9.2.01	10000.00
30.3.01	15000.00
10.4.01	15000.00
16.3.04	3828.00
रॉयलिटी	658.00
सेल टैक्स	509.00
कुल योग	51995.00

इस प्रकार रू0 1000.00 (51995.00–509995.00) अधिक का भुगतान उक्त योजना में श्री तिवारी को किया गया। विदित हो कि उक्त योजना का प्राक्कलन एवं प्रशासनिक स्वीकृति रू0 51000. 00 मात्र की थी।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि रू0 1000.00 संबंधित जिम्मेवार अभिकर्त्ता से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा किया जाय। साथ–ही प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(7) मकान भाड़ा के रूप में अधिक भुगतान की राशि 620.00 वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री प्रभूनाथ सिंह, आशु0 लि0 का स्थानान्तरण प्रखंड विकास कार्यालय सदर छपरा के पत्रांक–348 दिनांक 2.03.02 के द्वारा प्रखंड विकास कार्यालय अमनौर में हुआ। श्री सिंह को मकान–भाड़ा के रूप में माह फरवरी 02 से जुलाई 02 तक छः माह के लिए 7.5% की दर से प्रतिमाह रू0 465.00 का भुगतान किया गया था। जबकि बिहार राज्य कर्मचारी मकान–भाड़ा भत्ता नियमावली 1980 के नियम–5 (viii) 2 के अनुसार स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थानान्तरण के पहले के निवास के लिए सिर्फ दो माह तक के लिए मकान–भाड़ा देय है।

इस प्रकार बाद के चार महीने अप्रैल 02 से जुलाई 02 के लिए श्री सिंह को 5% की दर से उनके मूल वेतन रू0 6200.00 पर रू0 310.00 ही प्रतिमाह देय था। अतः उक्त कर्मी को रू0 620.00 (465–310)=155x4 का अधिक भुगतान मकान भाड़ा के रूप में किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

अतएव अधिक भुगतान की राशि 620.00 संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय साथ ही इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दिया जाय।

(8) रू0 998000.00 के अपारित अभिश्रव को रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्ट किया जाना आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2225 कल्याण के वर्ष 02–03 एवं 03–04 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि दि0 11.3.03 एवं 13.01.04 को निकासी की गयी विभिन्न राशियों के अभिश्रवों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिना पारित कराये तथा बिना भुगतीत एवं रद्ध के ही संबंधित रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्ट कर दिया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नरूपेण है :–

वि0 सं0	राशि	रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
88 / 02–03	131000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
89 / 02–03	150000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
90 / 02–03	15000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
91 / 02–03	51000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
92 / 02–03	55000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
93 / 02–03	6000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
94 / 02–03	7000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
95 / 02–03	7000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
96 / 02–03	9000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
97 / 02–03	24000.00	11.3.03	शीर्ष 2225 कल्याण
90 / 02–03	20000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण

91/02–03	15000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
92/02–03	76000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
93/02–03	17000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
94/02–03	150000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
95/02–03	128000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
96/02–03	9000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
97/02–03	1000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
98/02–03	58000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण
99/02–03	99000.00	13.1.04	शीर्ष 2225 कल्याण

कुल योग– 998000.00

उपर्युक्त विपत्रों से संबंधित अपारित प्रमाणकों पर भुगतीत एवं रद्ध का मुहर लगाये बिना संबंधित रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्ट कर बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 198 का उल्लंधन किया गया है जिससे प्रमाणकों के दुबारा निकासी एवं भुगतान की संभावना बनी हुई है। नियम के उक्त उल्लधंन की ओर सरकार एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि अभिश्रव सक्षम पदा0 से पारित एवं उपर्युक्त नियमों का पालन कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 998000.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में निर्गत आपत्ति को कोई उत्तर नही दिया गया।

(9) रू0 409792.00 के भुगतान पर प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर नही होना आपत्ति अन्तर्गत :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच एवं संबंधित सहायक रोकड़ पुस्तों से सत्यापन के क्रम में पाया गया कि विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न कर्मियों को उनके हस्ताक्षर के बिना ही विभिन्न राशियों का भुगतान दिखा कर राशि की प्रविष्टि संबंधित सहायक रोकड़ पुस्तों के व्यय पक्ष में कर दी गयी जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

भुगतान का विस्तृत विवरण

शीर्ष	विपत्र सं0	भुगतान पाने वाले का नाम एवं पदनाम	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
8005 (जी0 पी0 एफ0)	6/0203	श्री विद्या प्रसाद यादव से0 नि0, जनसेवक	127120.00	22.4.02	
2071 पेंशन	37/0203	श्री कौशल किशोर सिंह, से0 नि0, सहायक	30233.00	8.10.02	
2071 पेंशन	38/0203	तदैव	4319.00	5.10.02	
2235 सा0 सु0	112/0203	सलाउद्दीन खाँ	44940.00	31.1.03	

		सहायक			
2071 पेंशन	36 / 03–04	मजहरबारी खाँ से0 नि0, पं0 से0	2202.00	31.7.03	
	107 / 03–04	जानकी कुवंर पति स्व0 लालबाबू प्रसाद	51046.00	10.2.04	
	110 / 03–04	श्री राम बहादुर प्रसाद से0 नि0, पं0 सेवक	57121.00	10.2.04	
2515(क)	116 / 03–04	श्री चन्द्रशेखर सिंह, से0 नि0, पं0 सेवक	149932.00	21.2.04	
		कुल योग –	409792.00		

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर के अभाव में रू0 409792.00 के व्यय को तबतक आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है जबतक किसी विभागीय उच्चाधिकारी के समक्ष भुगतन पाने वाले सही व्यक्ति का हस्ताक्षर भुगतान की राशि पर कराकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत नही करा दिया जाता ।

(10) रू0 304245.90 के अपारित मस्टर रॉल का भुगतान आपत्तिअन्तर्गत :–

विधायक एवं सांसद मद के विभिन्न योजनाओं के जाँच में पाया गया कि उनमें प्रयुक्त मस्टर रॉल को सक्षम पदाधिकारी से पारित कराये बिना ही रू0 304245.90 मजदूरी भुगतान पर व्यय कर दिया गया। साथ ही उक्त अभिश्रव को भुगतीत एवं रद्ध भी नही किया जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम–198 के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में अभिश्रव के दुबारा निकासी एवं भुगतान ही संभावना बनी रहती है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। उक्त भुगतान से संबंधित राशि की विस्तृत विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर दी गयी है। इस संबंध में सरकार में एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति पर यथोचित कार्रवाई करते हुए तथा प्रमाणकों पारित के लिए यथोचित कदम उठाते हुए फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 304245.90 पै0 के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(11) प्रोत्साहन भत्ता के रूप में रू0 268746.00 का भुगतान आपत्तिअन्तर्गत :–

शीर्ष 2202 (शिक्षा) के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता के भुगतान से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि उन्हे सक्षम पदा0 द्वारा पारित किये बिना ही तथा भुगतीत एवं रद्ध किए बिना ही संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय भाग में प्रविष्ट कर दिया गया था।

भुगतान का विवरण

		राशि	भुगतान तिथि
1.	क्रमांक 1 से 35 प्रा0 वि0 सिरिसियां मनी से खोरी पकड़ खर्रा तक प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान –	99687.00	17.6.03
2.	क्रमांक 1 से 14 म0 वि0 बासडीह प्रा0 वि0 धरहरा कला तक प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान –	46273.00	17.6.03
3.	क्रमांक 1 प्रा0 वि0 तकेया से क्रमांक 7 प्रा0 वि0 छपरा अभिमान तक प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान –	17405.00	9.9.03
4.	क्रमांक 1 प्रा0 वि0 सिरिसियां मनी से क्रमांक 54 प्रा0 वि0 किशुनपुर तक –	82364.00	9.9.03
5.	क्रमांक 1 प्रा0 वि0 लखना से क्रमांक 17 म0 वि0 बांसडीह –	23017.00	12.12.03
	कुल योग –	268746.00	

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। सरकार एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उक्त रू0 268746.00 के अपारित एवं बिना भुगतीत एवं रद्ध अभिश्रवों की विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। प्रमाणकों के पारित के लिए यथोचित कदम उठाते हुए एवं संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 268746.00 को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है।

(12) रू0 20000.00 का भुगतान आपत्तिअन्तर्गत :–

इंदिरा आवास अभिलेख सं0 271/02–03 (अभिकर्त्ता मिन्ता देवी पति श्री लक्ष्मण राम ग्राम अमनौर सुल्तान सेलेजाना की जाँच में पाया गया कि दिनांक 29.4.03 एवं 10.1.07 रू0 6000.00 एवं रू0 1000.00 के भुगतान पर प्राप्तकर्त्ता के अंगूठे का निशान था जो पहचान कर्त्ता द्वारा प्रमाणित नही था। पुनः दिनांक 31.7.03 एवं 21.7.03 रू0 6000.00 एवं रू0 7000.00 पर उसी प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर अंकित था। जबकि पूर्व में अंगूठे का निशान था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। इस प्रकार कुल भुगतान की राशि रू0 20000.00 (6000.00+1000.00+6000.00+7000.00) तबतक आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। जबतक भुगतान में किए गये फेरबदल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत नही करा दिया जाता। इस संबंध में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान भी विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

भाग–2

(13) रू0 582000.00 की निकासी की जाँच कोषागार सीडिउल अप्रस्तुतीकरण के कारण आपत्ति अन्तर्गत :–

आकस्मिकता पंजी, विपत्र पंजी मैसेन्जर बुक एवं सहायक रोकड़ पुस्त के सत्यापन में पाया गया कि शीर्ष 2230 (श्रम एवं रोजगार) के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से रू0 314000.00 रू0 1000.00 रू0 253000.00 एवं रू0 5000.00 की निकासी क्रमशः विपत्र सं0 –131/02–03 133/02–03,146/02–03 एवं 147/02–03 द्वारा शीर्ष 2235 (N) के अन्तर्गत कर उक्त रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविष्टि दिनांक 29.3.03 एवं 31.3.03 को किया गया था। उक्त निकासी से संबंधित कोषागार सिड़यूल अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए जाने के कारण निकासी की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का उत्तर कार्यालय एवं कोषागार द्वारा नही दिया गया। इस संबंध में प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों एवं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि निकासी की जाँच अपने स्तर से कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 582000.00 (314000.00+10000.00+253000.00+5000.00) की निकासी आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(14) रोकड़पुस्त का भौतिक सत्यापन :–

रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन महीने में एक बार अंतिम तिथि को बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(iv) के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। उक्त नियम का पालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा नही किया गया था। भविष्य में उक्त नियम का दृढ़ता से पालनकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय साथ पूर्व के नियम के उल्लधंन के कारणों से भी अवगत कराया जाया।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2

(2)

" NISHU"

परिशिष्ट 'क'

अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका 1'ट' से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख

1. सामान्य रोकड़ पुस्त – वर्ष 02–03 एवं 03–04
2. साहयक रोकड़ पुस्त (सभी शीर्ष) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
3. विपत्र पंजी – वर्ष 02–03 एवं 03–04
4. आकस्मिकता पंजी – वर्ष 02–03 एवं 03–04
5. रेमिटेन्स रजिस्टर – वर्ष 02–03 एवं 03–04
6. वेतन भुगतान पंजी (सभी शीर्ष) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
7. आकस्मिकता अभिश्रव (आंशिक)
8. योजना पंजी (सभी योजनाऍं) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
9. केश रेकर्डस (सभी योजनाऍं) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
10. मापी पुस्त (सभी योजनाऍं) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
11. अभिश्रव (सभी योजनाऍं) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
12. छात्रवृति केश रेकर्डस एवं अभिश्रव – वर्ष 02–03 एवं 03–04
13. वृद्धावस्था पेंशन (अभिश्रव) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
14. प्रोत्साहन भत्ता (अभिश्रव) – वर्ष 02–03 एवं 03–04
15. आवंटन पत्र – वर्ष 03–004

अप्रस्तुत अभिलेख

1. सेवापुस्त
2. अग्रिम पंजी
3. अभिश्रव पंजी
4. बैंक पास बुक
5. जीप का लॉग बुक।
6. स्थायी एवं अस्थायी सामानों की भंडार पंजी।
7. आवंटन एवं व्यय पंजी एवं आवंटन की संचिका।
8. निरीक्षण पुस्त
9. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं यात्रा विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ।

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2515(ख)

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	1300000.00	840703.00	–	459297.00	–	प्रत्यार्पण का व्योरा अप्रस्तुत
2	जी0 या0 भत्ता	650000.00	435583.00	–	214417.00	–	तदैव
3	कार्या0 व्यय	16500.00	16500.00	–	–	–	
4	यात्रा व्यय	11000.00	11000.00	–	–	–	
5	वाहन रख–रखाव	33000.00	33000.00	–	–	–	
6	वर्दी	1200.00	1200.00	–	–	–	
7	विद्युत	3000.00	3000.00	–	–	–	
8	दूरभाष	23200.00	23200.00	–	–	–	

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ङ) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2003–04
शीर्ष 2515(ख)

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	अप्राप्त	1128521.00	–	–		
2	जी0 या0 भत्ता	अप्राप्त	576902.00	–	–		
3	कार्या0 व्यय	10600.00	10600.00	–	–		
4	वाहन रख–रखाव	22500.00	22500.00	–	–		
5	वर्दी	900.00	900.00	–	–		
6	विद्युत	2800.00	2800.00	–	–		
7	दूरभाष	14000.00	14000.00	–	–		

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2515(क)

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	480000.00	546612.00	66612.00	–	–	
2	जी0 या0 भत्ता	195000.00	262211.00	67211.00	–	–	
3	दल पतियों का भत्ता	12600.00	12600.00	–	–	–	
	वर्ष 2003–04						
1	वेतन	अप्राप्त	601041.00	–	–	–	
2	जी0या0 भत्ता	अप्राप्त	237896.00	–	–	–	
3	दल पतियो का भत्ता	12600.00	12600.00	–	–	–	

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2515(ग)

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	116000.00	151339.00	–	8661.00	–	प्रत्यार्पण का पत्रांक अप्राप्त
2	जी0 या0 भत्ता	50000.00	62865.00	12865.00	–	–	
3	कार्या0 व्यय	2400.00	2400.00	–	–	–	
4	यात्रा भत्ता	3000.00	3000.00				
	वर्ष 2003–04						
1	वेतन	अप्राप्त	165719.00	–	–	–	
2	जी0या0 भत्ता	अप्राप्त	85369.00	–	–	–	
3	कार्या0 व्यय	2000.00	2000.00	–	–	–	

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2053 राजाभाषा

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	अप्राप्त	18500.00	–	–	–	
2	जी0 या0 भत्ता	अप्राप्त	7869.00	–	–	–	
	वर्ष 2003–04						
1	वेतन	अप्राप्त	31398.00	–	–	–	
2	जी0या0 भत्ता	अप्राप्त	15342.00	–	–	–	

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2401 कृषि

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	315000.00	347132.00	32132.00	—	—	
2	जी0 या0 भत्ता	141000.00	147351.00	6351.00	—	—	
	वर्ष 2003–04						
1	वेतन	अप्राप्त	310411.00	—	—	—	
2	जी0या0 भत्ता	अप्राप्त	158792.00	—	—	—	

परिशिष्ट –'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2002–03
शीर्ष 2235 सा0 सु0

क्र0	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	21000.00	60660.00	39660.00	–	–	
2	जी0 या0 भत्ता	11000.00	28868.00	17868.00	–	–	
3	कार्या0 व्यय	200.00	200.00	–	–		
	वर्ष 2003–04						
1	वेतन	अप्राप्त	61920.00	–	–	–	
2	जी0या0 भत्ता	अप्राप्त	31520.00	–	–	–	

परिशिष्ट –'ग'

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका –'10' से संबंधित

क्र0	योजना का नाम	योजना सं0	योजना का विवरण	अभिकर्त्ता	अपारित मस्टर रॉल का विवरण	राशि	अभ्युक्ति
1	विद्यायक योजना	7/2000–01	ग्रा0 माथा से प्रा0 वि0 किसुनपुर तक जाने वाली सड़क में 1420 फीट में मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण।	श्री अशर्फी राय	दि0 25.1.01 से 30.1.01	765.00	
					दि0 25.1.01 से 30.1.01	2142.00	
					दि0 25.1.01 से 30.1.01	1080.00	
					दि0 10.2.01 से 15.2.01	2142.00	
					दि0 10.2.01 से 15.2.01	2142.00	
					दि0 10.2.01 से 15.2.01	900.00	
					दि0 17.2.01 से 22.2.01	2142.00	
					दि0 17.2.01 से 22.2.01	2142.00	
					दि0 17.2.01 से 22.2.01	990.00	
					दि0 4.4.01 से 9.4.01	774.00	
					दि0 4.4.01 से 9.4.01	2142.00	

					दि0 10.4.01 से 15.4.01	2520.00	
					दि0 17.9.02 से 22.9.02	1224.00	
					दि0 17.9.02 से 20.9.02	540.00	
2	विद्यायक योजना	8/2000–01	डोमन छपरा में सकल देव राय के घर से जो सड़क सुभाष तिवारी के घर तक जाती है उसमे 450 फीट तक मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण।	श्री अरूण राय	दि0 15.3.01 से 21.3.01	4998.00	
					8.3.01 से 14.3.01	4437.00	
					1.6.02 से 10.6.02	3070.00	
3	विद्यायक योजना	11/2000–01	महानदी से ग्राम धरहरा मठिया तक 2500′ में मिट्टीकरण एवं 860′ में ईंट्टीकरण।	श्री अखिलेश राय	23.1.01 से 27.1.01	17799.00	
					10.11.01 से 16.11.01	5235.00	
4	विद्यायक योजना	13/2000–01	ग्रा0 बगही नहर पुल से श्री बच्चन राम के घर तक सड़क में मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण।	श्री वीरेन्द्र तिवारी	दि0 22.3.01 से 27.3.01	2856.00	
					दि0 5.4.01 से 9.4.01	969.00	
5	विद्यायक योजना	15/2000–01	ग्रा0 अमनौर अगुवान से पंडित टोला तक जानेवाली सड़क में 700′ में	श्री राजीव कुमार	दि0 11.3.01 से 16.3.01	3582.00	

			मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण।				
					दि0 5.4.01 से 10.4.01	4569.00	
					दि0 7.5.01 से 12.5.01	2601.00	
					दि0 14.5.01 से 19.5.01	2193.00	
6	विद्यायक योजना	2/2000–01	ग्रा0 डोमन छपरा से बी0 बासदेव राय के घर से देवी स्थान तक सड़क में 1000′ मिट्टीकरण एवं 460′ में ईंट्टीकरण।	श्री अशोक कुमार कुरावाहा		4430.00	
						4998.00	
						3945.00	
7	विद्यायक योजना	6/2000–01	ग्राम खोड़ी पाकड़ सोलिंग से जो सड़क ग्राम खोड़ीपाकर गोविन्द जाती है उसके 3000′ में मिट्टीकरण एवं 250′में ईंट्टीकरण।	श्री दिनेश कुमार		4998.00	
						2907.00	
						4998.00	
						4998.00	
						4998.00	
						4998.00	
						4998.00	
						4998.00	
						4998.00	
						459.00	
8	विद्यायक योजना	20/2001–02 1	बृजनाथ सिंह के घर से उमेश सिंह के बड़काडीह तक पथ में मिट्टीकरण एवं ईंट्टीकरण।	श्री कमल कुमार शर्मा पंचायत सेवक	दि0 6.3.02 से 12.3.02	5742.80	

					दि0 6.3.02 से 12.3.02	2402.60	
					दि0 19.3. 02 से 25.3. 02	5742.20	
					दि0 19.3. 02 से 25.3. 02	5742.80	
					दि0 19.3. 02 से 21.3. 02	2461.20	
					दि0 19.3. 02 से 25.3. 02	3223.00	
					दि0 27.3. 02 से 1.4. 02	5332.80	
					दि0 28.3. 02 से 2.4. 02	937.60	
					दि0 7.6.02 से 12.6.02	13861. 20	
					दि0 14.6. 02 से 20.6. 02	7501.20	
					दि0 14.6. 02 से 20.6. 02	5772.80	
					दि0 14.6. 02 से 20.6. 02	3164.40	
9	सांसद योजना	8/2000–01	प्रा0 वि0 परमानन्द छपरा में दो कमरे का निर्माण	श्री राम बाबू सिंह	दि0 10.5. 01 से 16.5. 01	4806.00	
					22.3.01 से 28.3.01	1893.00	
					दि0 12.3. 01 से 18.3. 01	6936.00	

					दि0 20.2.01 से 26.2.01	4965.00	
					दि0 12.2.01 से 18.2.01 दि0 6.8.01 से 12.8.01	4182.00 5520.00	
					दि0 16.6.01 से 22.6.01	6195.00	
					दि0 8.6.01 से 14.6.01	6207.00	
					दि0 8.6.01 से 14.6.01	612.00	
					दि0 1.5.01 से 17.5.01	867.00	
10	सांसद योजना	23/2001–02	अमनौर सोन्हो पक्की सड़क में भेड़िहरवा टोला से अमनौर पर्यटक केन्द्र होते हुए पुरैना जानेवाली पथ की मरम्मति जीर्णोदार।	श्री विश्वनाथ प्रसाद	21.1.02 से 27.1.02	5747.70	
					6.12.01 से 2.12.01	5747.70	
					31.12.01 से 19.12.01	1642.20	
					28.1.02 से 3.2.02	2228.70	
11	सांसद योजना	28/2001–02	खोड़ी पाकड़ गोविन्द हरिजन टोली सोलिंग पथ से खाड़ीपाकर खर्ग तक जानेवाली पथ का मिट्टीकरण/ईंट्टीकरण	श्री अनिल कुमार शर्मा, पं0 से0	3.1.02 से 4.2.02	1917.00	
					5.2.02 से 10.2.02	3822.00	
					28.2.02 से 5.3.02	1815.00	
					7.5.03 से	1497.00	

					13.5.03		
12	सांसद योजना	25/2001–02	परमानन्द छपरा गंडक बाँध से रियासत अली के बगीचा तक पथ का मिट्टीकरण।	श्री सर्फुद्दीन, पं0 से0	21.11.01 से 27.11.01	4998.00	
					29.11.01 से 5.12.01	5916.00	
					7.12.01 से 13.12.01	6783.00	
					15.12.01 से 21.12.01	6477.00	
					22.12.01 से 28.12.01	6783.00	
					2.5.03 से 7.5.03	9027.00	
13	सांसद योजना	32/2001–02	अमनौर प्रखंड के अन्तर्गत सोनहो पीच के 5 वें एवं 7 वें कि0 मी0 में बाढ़ से कटाव की विशेष मरम्मति।	श्री कृष्ण कुमार यादवेन्द्र	15.9.01 से 20.9.01	1632.00	
14	सांसद योजना	33/2001–02	मधुबनी ग्राम से बसतपुर बाजार तक डेढ़ कि0 मी0 भाग में क्षति ग्रस्त पथ में विशेष मरम्मति।	म0 सर्फुद्दीन, पं0 से0	5.6.02 से 10.6.02	1836.00	
					25.5.02 से 28.5.02	714.00	
					30.10.02 से 14.11.02	816.00	
					14.3.02	102.00	

कुल योग– 304245.90